न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 04/2012

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. हंसा पुत्र अचला कोली जाति कोली दौलपुरा तहसील रेवदर जिला सिरोही		1. अमरा पुत्र लखमा कोली
2. दरगा पुत्र अचला कोली जाति कोली निवासी दौलपुरा तहसील रेवदर जिला सिरोही		2. तलका पुत्र लखमा कोली
		3. अगरा पुत्र रूडा कोली
		4. भला पुत्र रूडा कोली
		5. काना पुत्र रूपा कोली
		6. तलबका उर्फ तलसा पुत्र धरमाजी
		7. दिनेश पुत्र काला
		8. पारू बेचा काला
		9. राधा उर्फ रामा पुत्र धरमा
		10. राजा पुत्र करमी
		11. गंगा पुत्री करमी
		12. भूरी बेवा करमी
		13. भूरा पुत्र गजाजी जातिगण कोली निवासीगण दौलपुरा तहसील रेवदर जिला सिरोही
		14. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री कलीम अव्वल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 13
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 14 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

–: निर्णय :–

दिनांकः– 4.5.2018

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2004 बअनवान अमरा वगैरा बनाम अगरा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2005 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम दौलपुरा के खसरा नम्बर 510, 530, 531 से 537 कुल रकबा 67 बीघा 13 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त भूमि के विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद में अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति दर्ज करवाते हुए जैर अपील निर्णय पारित करवाया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रकरण में अपीलाण्ट्स की तामील ही नहीं हुई तथा न ही अपीलाण्ट्स को उक्त वाद की जानकारी रही। अपीलाण्ट्स के नाम जो सम्मन जारी हुए, उन पर अपीलाण्ट्स के अंगुष्ठ निशान नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के अंगुष्ठ निशान लगवाते हुए विधि विरूद्ध तामील करवाई गई है। अपीलाण्ट्स द्वारा दूसरे सह खातेदारान की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से क्रय किया गया है, इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से से अधिक भूमि अपीलाण्ट की बनती है, किन्तु जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट्स के हिस्से को कम कर दिया गया है, जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को किसी भी रूप में सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया तथा न ही किसी प्रकार से सुनवाई की गई। गलत एवं विधि विरूद्ध रूप से करवाई गई तामील को सही मानते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में से अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित कराने एवं पृथक से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अपीलाण्ट द्वारा बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट का कथन है कि जो अंगुष्ठ निशान सम्मन पर लगाया गया है, वह अपीलाण्ट का नहीं है एवं विधि विरूद्ध तामील करवाई गई है। यदि तामील विधि विरूद्ध हुई, तो उनके द्वारा तामील कुनिन्दा के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दायर क्यों नहीं करवाया। दावे की जानकारी थी, तो एकपक्षीय आदेश अपास्त करवाने हेतु कार्यवाही क्यों नहीं की गई। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं है। यदि जैर अपील वादस्थ भूमि में अपीलाण्ट्स का ज्यादा हिस्सा बनता था, तो 88, 188 में दावा पेश करते, जो नहीं किया गया। अपीलाण्ट द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है, जो मियाद के बिन्दु पर तथा गुणावगुण पर भी खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

कार्यवाही करते हुए ज़ैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय के समक्ष अनुपसिति रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किए तथा वादी की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनने के पश्चात अन्तिम डिक्री जारी की गई। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन का विधिवत तामील नहीं होना। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से इस तथ्य का परस्पर मिलान करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अपीलाण्ट संख्या 1 का सम्मन उनकी पत्नि से तथा अपीलाण्ट संख्या 2 के नाम जारी सम्मन स्वयं अपीलाण्ट संख्या 2 से तामील करवाया गया है, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील माना गया है। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गवाहों के बयान कलमबद्ध किये जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी पालना में तहसीलदार रेवदर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलाण्ट द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश की जानकारी कब हुई। अपीलाण्ट द्वारा न तो प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित किया, जो प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को समर्थन करता हो। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत भी पोषणीय नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। जिसे स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपील मियाद बाहर होने से तथा गुणावगुण पर भी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2004 बअनवान अमरा वगैरा बनाम अगरा वगैरा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

पारित निर्णय दिनांक 28.09.2005 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 4.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही